

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

(वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू)

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमिवर्षों की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

लागू नहीं

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी

आयशाही/समयन
प्रयोक्ता सरोस्वी
पान्तीय खण्ड लीज नि.
पिथौरागढ़

व.सं.सं.
व.सं.सं.
(चण्डाक)

वन क्षेत्र अधिकारी
पिथौरागढ़